फर्द अहकाम

दावाकार बनाम प्रतिवादीगण

नाम न्यायालय

केस संख्या 47/2019

प्रा.पत्र 136

2019|00836

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.2-19	तहसीलदार कोटपूतली ने प्रा.पत्र सं.17/18 दि. 14-6-18 के द्वारा प्रा.पत्र 136 में अन्तर्गत ग्राम चीरोजपुरा अर्थ बीबीका बाद की जमाबन्दी संवत 2070-73 से खाता सं. 50 में रजाक खाँ पि. अमाव खाँ दि. 1161/2011 का नाम दर्ज है जो रजाक खाँ कोटूखाँ का हिस्सा है 1161/2011 के स्थान पर 1161/2011 द. दि. 1/4 शुद्ध किये जाने हेतु पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रा.पत्र एवम प्राप्त दावाजात का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली की अनुशंसा के आधार पर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चीरोजपुरा अर्थ बीबीका बाद की जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता सं. 50 में रजाक खाँ, कोटूखाँ पि. अमाव खाँ दि. 1161/2011 के स्थान पर रजाक खाँ, कोटू खाँ पि. अमाव खाँ दि. 1161/2011 द. हिस्सा 1/4 द. दि. 1/4 शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध दर्ज किया जावे। किसी भी मामला में शुद्ध दर्ज किया जावे। पत्रावली तहसीलदार को वापस जानी है। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

11.2.19

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)